न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : रोहित गुप्ता, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 33/2017 (अपील)

घनश्याम आत्मज दुलीचन्द जाति मीना निवासी हनुवतखेडा तहसील रामगंजमण्डी कोटा (राज0)

——अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति

श्री मो0 युनूस, अभिभाषक अपीलान्ट

श्री गोविन्द सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः—16/01/2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने ग्राम हनुवतखेडा की भूमि खसरा नम्बर 137 रकबा 0.81 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत प्रकरण संख्या 127/2016 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 100/—रूपये का जुर्माना तथा 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड सें दण्डित करते हुए दिनांक 19.10.2016 को निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 17.5.2017 को पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने कभी खसरा नं0 137 की रकबा 0.81 हे0 किस्म चारागाह ग्राम हनुवतखेडा में स्थित भूमि पर अतिकमण नहीं किया है ना ही उक्त भूमि पर अपीलान्ट वर्तमान में भी अतिकमी है, तथा उक्त विवादित भूमि पर से अतिकमण छोड़ने पर तत्पर है । पटवारी रिपोर्ट में जो तथ्य अपीलान्ट के अतिकमी होने बाबत दर्शाये गये है वे झूठे व निराधार है किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय में उक्त निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 19.10.2016 को निरस्त करते हुये 90 दिवस के सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दोषमुक्त किया जावें ।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट, बयान एवं गत वर्ष भी अतिकमी होने से निर्णय दिनांक 24.9.2015 मि0नं0 169/2015 के आधार पर पश्चातवर्ती अतिकमी साबित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, जो उचित है। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर से अतिकमण हटाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें ।

हमने उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.10.2016 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 17.05.2017 को पेश की गई है। जो 7 माह विलम्ब से पेश की है । विलम्ब से प्रस्तुत होने के सम्बन्ध

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर प्रथम जानकारी दिनांक 1.5.2017 होना तथा दिनांक 3.5.2017 को प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील पेश की गई । अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को न्यायहित में कंडोन किया जाने योग्य है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अतिक्रमी के विरूद्व गत वर्ष भी धारा 91 की कार्यवाही की जाकर मि0नं0 169/2015 निर्णय दिनांक 24.9.2015 से बेदखल किया गया था । जिससे अतिक्रमी पश्चातवृती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है । हम राजकीय अभिभाषक के इस तर्क से सहमत है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की पुष्टि में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । अतः अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रोहित गुप्ता)
जिला कलेक्टर
कोटा